न्यायालय श्री जगजीत सिंह मोंगा, R.A.S. अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

अपील संख्या : 08/2020(जीसीएमएस संख्या : 2020/00036)

कन्हैयालाल यादव पुत्र स्व0 श्री शंकरलाल यादव, जाति–अहीर, निवासी–ग्राम कोटखावदा, तहसील–कोटखावदा, जिला–जयपुर।

अपीलान्ट,

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, कोटखावदा, जिला–जयपुर।

रेस्पोडेन्ट,

(राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आज्ञा दिनांक 26.06.2020 तहसीलदार, कोटखावदा जिला–जयपुर प्रकरण संख्या 29/2020 उनवानी सरकार बनाम कन्हैयालाल अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम, 1956)

उपस्थितः–
1. श्री कृष्ण कुमार यादव, अभिभाषक, अपीलान्ट् की ओर से।
2. पेरोकार सरकार।

निर्णय **दिनांक : 12.04.2021**

नायब तहसीलदार, कोटखावदा, जिला–जयपुर ने अपनी आज्ञा दिनांक 26.06.2020 द्वारा अपीलान्ट् कन्हैयालाल पुत्र श्री शंकरलाल, जाति–अहीर, निवासी–कोटखावदा, तहसील–कोटखावदा, को ग्राम–कोटखावदा की आराजी खसरा नम्बर 5191 रकबा 0.14 है0 किस्म जमीन गैर–मुमकिन नाला राजकीय आराजी में बोरिंग व तारबंदी द्वारा कब्जा कर सम्वत् 2077 में अतिक्रमण किये जाने का दोषी होने से वार्षिक लगान 25.40 का 50 गुणा रूपये 1270/– की शास्ति आरोपित कर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा बेदखली फर्द/जप्ती प्रस्तुत करने तथा तहसील राजस्व लेखाकार को पेनल्टी की कायमी करने तथा पटवारी हल्का को शास्ति की वसूली करने के आदेश दिये गये है, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

उक्त आशय की अपील प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराई जाकर नोटिस रेस्पोडेन्ट जारी किये गये व मिसल मातहत न्यायालय तलब की गई। उभय–पक्षों की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट् के विद्वान अभिभाषक श्री कृष्ण कुमार यादव का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 26.06.2020 विधि–विधान व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के

विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने न तो पत्रावली का अवलोकन ही किया और ना ही मौके की कोई जांच पडताल की। केवल हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर ही कार्यवाही कर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जबकि अधीनस्थ न्यायालय को मौके के संदर्भ में जांच कर रिपोर्ट मंगवायी जानी थी, किन्तु बिना किसी जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही अमल में ला दी गई, इस कारण भी आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी के भी विरूद्ध कोई भी कार्यवाही अमल में लाये जाने से पूर्व पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर उपलबध करवाया जाना चाहिये और पक्षकार को सुनकर गुणावगुण पर प्रकरण का निस्तारण फरमाया जाना चाहिये, किन्तु निजी कारणो से एक पेशी पर ही उपस्थित नही रहने के कारण अप्रार्थी के विरूद्ध उक्त कार्यवाही अमल में जा दी गई जो विधि विरूद्ध होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में नैसर्गिक सिद्धांतो की पालना किये बिना केवल मात्र प्रकरण का किसी भी तरह निस्तारण कर अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर सिविल कारावास एवं शास्ति अधिरोपित करने में अतिशीघ्रता दिखलाई गई है, इस कारण भी उक्त आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अतिरिक्त कोई साक्ष्य/प्रमाण उपलब्ध नही थे एवं न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट को ही सही एवं प्रमाणित मानते हुये अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में ला दी गई, जबकि उक्त आदेश पारित करने से पूर्व न्यायालय को मौका कमिश्नर या गिरदावर को भेजकर मौके की वास्तवित वस्तुस्थिति बाबत् रिपोर्ट मंगवाई जाकर प्रकरण में कार्यवाही अमल में लाई जानी चाहिये थी किन्तु न्यायालय द्वारा उक्त आवश्यक कार्यवाही बिना ही प्रकरण में उक्त कार्यवाही अमल में लाई जाने के कारण भी अक्त आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। न्यायालय ने हल्का पटवारी की जिस रिपोर्ट में उक्त खसरा नम्बर 5191 की रकबा 0.14 हैक्टेयर भूमि को गैर–मुमकिन नाला मानते हुये एवं उस नाले की भूमि पर किये हुये बोरिंग को अतिक्रमण मानते हुये जो कार्यवाही की गई है वह गलत आधारो पर की गई है, क्योंकि जिस खसरा नम्बर की भूमि को उस गैर–मुमकिन नाले का बहाव क्षैत्र अप्रार्थी के कब्जे काश्त की जमीन से अलग है, किन्तु हल्का पटवारी द्वारा जान–बुझकर गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस आधार पर न्यायालय द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश पारित किये जाने के कारण भी उक्त आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। न्यायालय द्वारा उक्त आदेश पारित किये जाते समय हल्का पटवारी की रिपोर्ट को ही मुख्य आधार माना गया है जबकि हल्का पटवारी की रिपोर्ट में कहीं भी स्पष्ट नहीं है कि कितनी लंबाई में कितनी चौडाई में एवं कितने क्षैत्रफल में उक्त खसरा की भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा है,

ऐसी स्थिती में अस्पष्ट सत्यापन के आधार पर अप्रार्थी को अतिक्रमी मानते हुये न्यायालय द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध विधि–विरूद्ध आदेश पारित किया जाने के कारण भी उक्त आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा गैर–मुमकिन नाले की भूमि पर कब्जा मानते हुये न्यायालय द्वारा उक्त आदेश पारित किया गया है, जबकि न्यायालय के समक्ष मौके की स्थिति को स्पष्ट करने के कोई भी फोटोग्राफ शामिल पत्रावली नहीं है। केवल हल्का पटवारी रिपोर्ट को ही सही एवं दुरूस्त मानते हुये मनमर्जी से उक्त आदेश पारित किये जाने के कारण भी उक्त आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। मौके पर अप्रार्थी द्वारा गैर–मुमकिन नाले की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया हुआ है, नाले की भूमि के अतिरिक्त भूमि पर अप्रार्थी पिछले 25 वर्षों से कब्जे के आधार पर काश्त करता हुआ आ रहा है और इस कब्जा काश्त किये जाने के आधार पर विभिन्न समयों पर तहसील द्वारा आरोपित शास्ति जमा करवाता आ रहा है, जिस कारण भी उक्त आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थी को मौके से बैदखल नही किया गया है और न ही अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिचारी है। अपीलान्ट को पूर्व में वादग्रस्त आराजी से कब और किसके द्वारा बैदखल किया है यह पत्रावली पर नही है। प्रकरण में अप्रार्थी को सुने बिना एकपक्षीय आदेश पारित किया है जिसे अपास्त करवाने हेतु अपीलार्थी यह अपील प्रस्तुत कर रहा है ताकि वह उक्त अपील में अपना पक्ष रख सके और ऐसा न किये जाने की स्थिति में अपीलार्थी के हित प्रभावित होंगे और अपीलार्थी न्याय प्राप्त करने से वंचित रह जावेगा वही दूसरी ओर प्रत्यर्थी का हित किसी भी प्रकार से प्रिज्यूडिस नहीं होगा और प्रत्यर्थी को उक्त अपील की सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर भी प्राप्त होगा। न्यायालय के एकपक्षीय आदेश की जानकारी अप्रार्थी को उस समय हुई जब न्यायालय द्वारा किये गये एकपक्षीय आदेश पर जारी गिरफतारी वारंट लेकर पुलिस अप्रार्थी के घर पहुॅची, तब अप्रार्थी निजी कार्य से जयपुर आया हुआ था, अप्रार्थी को जानकारी होने पर अप्रार्थी ने उक्त आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये आवेदन किया तत्पश्चात् दिनांक 06.08.2020 को प्राप्त प्रमाणित प्रति के आधार पर उक्त अपील अंदर मियाद प्रस्तुत की गई है।

विद्वान पेरोकार सरकार का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा विधि विधान व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप है। नियमानुसार अपीलान्ट को सुनवाई/साक्ष्य का समुचित अवसर दिया गया है। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया है इसके पश्चात् जानबूझकर अनुपस्थित हुआ है। विवादग्रस्त आराजी गैर–मुमकिन नाला राजकीय भूमि है। पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जांच करने के पश्चात् ही अतिचार की रिपोर्ट की गई है। पश्चातवर्ती अतिचार के संबंध

में पटवारी ने बयान दिये है। प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया है अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे। अपीलाधीन आज्ञा यथावत रखे जाने के आदेश फरमाये जावें।

हमने उभय–पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 21.05.2020 को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में कन्हैयालाल पुत्र श्री शंकरलाल, जाति–अहीर, निवासी–कोटखावदा को ग्राम–कोटखावदा की आराजी खसरा नं0–5191 रकबा 0.14 है0 किस्म जमीन गैर–मुमकिन नाला में बोरिंग व तारबंदी द्वारा कब्जा करना अंकित किया है। इस रिपोर्ट के कैफियत वाले कॉलम में पटवारी हल्का द्वारा पूर्व में किये गये अतिचार व इस अतिचार के परिणामस्वरूप की गई बेदखली की कार्यवाही के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी अंकित नहीं की गई है। अधिनस्थ तहसीलदार, कोटखावदा द्वारा अपीलान्ट्–अप्रार्थी को दिनांक 26.05.2020 को जो नोटिस जारी किया गया है उसमें भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा यह अंकित नहीं किया गया है कि अपीलान्ट्–अप्रार्थी द्वारा पूर्व में किस कृषि वर्ष में अतिचार किया गया था। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 26.06.2020 को बयान दिये गये है। उसमें पटवारी हल्का द्वारा यह बयान दिया गया है कि अतिक्रमी कन्हैयालाल पुत्र श्री शंकरलाल, जाति–अहीर, निवासी–कोटखावदा के द्वारा ग्राम–कोटखावदा के खसरा नं0–5191 रकबा 0.14 है0 किस्म गैर–मुमकिन नाला में बोरिंग व तारबंदी कर कब्जा कर रखा है। उक्त अतिक्रमी को पूर्व में भी पूर्व हल्का पटवारी द्वारा बेदखल किया जा चुका है परन्तु पूर्व में कब बैदखल किया गया है पत्रावली में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है। पेरोकार सरकार अपीलान्ट को पूर्व में बेदखली एवं पश्चात्वर्ती अतिक्रमण को साबित करने में असफल रहें है। अपीलान्ट ने अपने अपील प्रार्थना–पत्र में स्वीकार किया है कि अप्रार्थी द्वारा गैर–मुमकिन नाले की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया हुआ है। नाले की भूमि के अतिरिक्त भूमि पर अप्रार्थी पिछले 25 वर्ष से कब्जे के आधार पर काश्त करता आ रहा है और शास्ति जमा करवाता आ रहा है परन्तु 08.06.2020 के स्वयं के पत्र में अपीलांट ने माना है कि खसरा नम्बर 5191 गैर–मुमकिन नाला में कब्जा किया हुआ है। उक्त खसरा नम्बर में मेरा करीब 25 वर्ष से कब्जा है उनकी पैनल्टी रसीद संलग्न है। खसरा नम्बर 5191 में मेरे द्वारा पानी के लिए बोरिंग करवाया हुआ है। इसी प्रकार प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के बिन्दु संख्या 5 में उल्लेख किया है कि प्रार्थी के खसरा नम्बर 5961, 5977 की भूमि सटी हुई है। इस खसरा नम्बर की प्रार्थी की कब्जा काश्त की भूमि के अलावा प्रार्थी का किसी गैर–मुमकिन नाले की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। उक्त से स्पष्ट है कि अपीलांट

द्वारा जवाब, पत्र दिनांक 08.06.2020 में तथा धारा 151 के प्रार्थना–पत्र में अलग–अलग तथ्य दिये है जिससे स्पष्ट जाहिर है कि अपीलांट न्यायालय में गलत तथ्य पेश कर, गुमराह कर रहा है एवं अलग–अलग कथन से अपनी बदनियती प्रकट कर रहा है। इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि अपीलान्ट् का खसरा नम्बर 5191 पर ही अतिक्रमण है। चूंकि अपीलांट ने स्वयं ने खसरा नम्बर 5191 में अपना कब्जा माना है ऐसी स्थिति में सीमाज्ञान की आड़ में अपीलान्ट को वांछित राहत दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है। उक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट् आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। तीन माह की सिविल कारावास की सजा को समाप्त करते हुए अपीलान्ट से नियमानुसार शास्ति लेकर मौके से बेदखली करने की सजा को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.04.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जगजीत सिंह मोंगा)
अति. कलक्टर (द्वितीय)